बीस रुपये COURT FEE Rs.20 भारत INDIA TWENTY RUPEES

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये

(G5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–शिवपुरी
अपील-6131/2018/ शिवपुरी/भू.रा.

1 गुनिया बेवा कलुआ सेहर
2 रामचरण पुत्र कलुआ सेहर
3 भगवानदास पुत्र कलुआ सेहर
निवासीगण – ग्राम जालमपुर तहसील खनियाधाना जिला – शिवपुरी (म.प्र.)
.........अपीलार्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि. 18.10.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23.10.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला – शिवपुरी म.प्र.
...........प्रत्यर्थी

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 62/2016–17/अ–21 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अपीलार्थीगण गुनिया बेवा कलुआ सेहर एंव अन्य द्वारा ग्राम जालमपुर तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 509, 519 कुल किता 2 कुल रकवा 1.00 है0 में से 0.20 है0 तथा सर्वे क्रमांक 560, 561, 562, 563 कुल किता 4 कुल रकवा 0.89 है0 में से 0.81 है0 को विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

2– यहकि, अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 62/2016–17/अ–21 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 20.08.2018 से इस आधार पर निरस्त कर दिया। कि पुत्र की शादी में कर्जा होने से उक्त कर्जे की अदायगी हेतु रूपयो की आवश्यकता है, इसलिये विक्रय की अनुमति दी जाये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख करते हुये कि भूमि विक्रय करने से उनके जीवकोपार्जन संकट खडा हो जायेगा। इसलिये आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह वर्तमान अपील माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक—अपील 6131/2018/शिवपुरी/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
23.10.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा यह कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 62/2016–17 /अ–21 में पारित आदेश दिनांक 20.8.18 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अनावेदक शासन के अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी द्वारा आपत्ति करते हुये कहा कि प्रथम अपील आयुक्त के न्यायालय में होगी। 2–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस कर दी जावे। आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किये जाने के आदेश दिये जाते है। सदस्य	